



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:- 16-05-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त लालू ठठेरा उर्फ वाला लखन्दर को लूट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 04 वर्ष के कारावास तथा कुल 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 224/2020 धारा- 392,411,413, 414 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त लालू ठठेरा उर्फ वाला लखन्दर पुत्र लिल्लू साव निवासी ए- 56/111 रानी फाटक डीएवी के सामने अवसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी को थाना-सिगरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 16-05-2025 को मा0 न्यायालय ACC-4 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 392 भादवि में 04 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा-411 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000 रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 413, भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा धारा-414 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी एवं जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:- 16-05-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त लालू ठठेरा उर्फ वाला लखन्दर को लूट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 04 वर्ष के कारावास तथा कुल 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

थाना-चेतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 25/2020 धारा- 392, 411,413, 414 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त लालू ठठेरा उर्फ वाला लखन्दर पुत्र लिल्लू साव निवासी ए- 56/111 रानी फाटक डीएवी के सामने अवसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी को थाना-चेतगंज पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 16-05-2025 को मा0 न्यायालय ACC-4 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 392 भादवि में 04 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा-411 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000 रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 413, भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा धारा-414 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी एवं जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:- 16-05-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त लालू ठठेरा उर्फ वाला लखन्दर को लूट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 04 वर्ष के कारावास तथा कुल 5500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1363/2019 धारा- 392, 411,413, 414, 506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त लालू ठठेरा उर्फ वाला लखन्दर पुत्र लिल्लू साव निवासी ए- 56/111 रानी फाटक डीएवी के सामने अवसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी को थाना-लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 16-05-2025 को मा0 न्यायालय ACC-4 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 392 भादवि में 04 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा-506 भादवि में 01 वर्ष का कारावास तथा 500 रूपये की अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा-411 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000 रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 413, भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा धारा-414 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी एवं जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी